आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या–05/2019–20

कालू घोष वगै0
–बनाम–
कैलाश मंडल

अपीलार्थीगणः–

1. कालू घोष उर्फ सनातन घोष, पिता–स्व0 विपीन घोष,
2. मिथुन घोष, पिता–कालू घोष, सा0–भिठी (करमपुरातो), थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादीः–

1. कैलाश मंडल, पिता–स्व0 भगवान मंडल, सा0–बासकोला, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी कालू घोष उर्फ सनातन घोष वगैरह के आवेदन पर संतुष्ट होकर वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 37/रा0, दिनांक 03.02.2021 द्वारा आर0ई0 वाद सं0 12/2018–19 (कैलाश मंडल –बनाम– कालू घोष वगै0) के मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0 12/2018–19 में पारित आदेश किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, जो रद्द किये जाने लायक है। प्रश्नगत भूमि मौजा–भिठी के जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 रकवा 01–14–10 धूर से संबंधित है, जो खतियान में मन्टू मंडल के नाम से दर्ज है।

उन्होंने आगे भी अपने तर्क में कहा कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत मन्टू मंडल के पुत्र भगवान मंडल थे। उनके दो पुत्र कैलाश मंडल एवं विश्वनाथ मंडल है। खतियानी रैयत भगवान मंडल के मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि कैलाश मंडल एवं विश्वनाथ मंडल के दखल कब्जा में आ गया, जिसमें विश्वनाथ मंडल के हिस्से में 00–17–05 धूर प्राप्त हुआ।

आगे उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि अपीलार्थी सरकंडा ग्राम के निवासी है। गंगा नदी के गर्भ में समा जाने के कारण उत्तरवादी के भाई विश्वनाथ मंडल ने मजबूरी एवं घर के अभाव के कारण मौजा–भिठी जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 रकवा 01–14–10 धूर भूमि में से अपने नीज अंश में प्राप्त भूमि को सनातन घोष उर्फ कालू घोष को रकवा 05 कट्ठा अपीलार्थी सं–01 एवं 03 कट्ठा अपीलार्थी सं0–02 को 7000 (सात हजार) रूपये प्रति कट्ठा की दर से घर बनाकर रहने के लिए एकरानामा के आधार पर बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया।

Scanned with OKEN Scanner

आगे अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि से बसौड़ी भूमि में बदल गई है, जिसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उनके बाद भी विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने आर0ई0 वाद सं0 12/2018–19 में दिनांक 04.04.2019 को अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भूमि मौजा–भिठी, जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 के आंशिक भूमि से उच्छेद कर दिया गया, जो अपास्त (Set-aside) करने योग्य है।

उन्होंने विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर0ई0 वाद सं0 12/2018–19 दिनांक 04.04.2019 को पारित आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि तालझारी अंचल अन्तर्गत मौजा–भिटी, जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 रकवा 01–14–10 धूर भूमि उत्तरवादी के दादा मन्टू मंडल के नाम से खतियान में दर्ज है। मौजा–भिठी दामिन–ई–कोह की भूमि है, जिसे किसी भी प्रकार से स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवकता का तर्क है कि उत्तरवादी अंचल तालझारी के अन्तर्गत गाँव बाँसकोला में रहते है, जिसके कारण उक्त भूमि को अपीलार्थी को बटाई पर दिये थे। जबकि उन्होंने अपने खेत देखने गये तो देखा कि अपीलार्थीगण उक्त भूमि को टाटी से घेर कर खेती योग्य भूमि को बाड़ी बना लिये है। जबकि उक्त भूमि को दामिन–ई–कोह की अहस्तांतरित भूमि है।

आगे उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने अंचल अधिकारी, तालझारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात उसे अवैध दखलकार मानते हुए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के अन्तर्गत अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि मौजा–भिठी, जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 से उच्छेद कर न्यायोचित आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि अंचल तालझारी के मौजा–भिठी, जमाबंदी नं0–64, दाग नं0–102 रकवा 01–14–10 से संबंधित है। मौजा भिठी की भूमि दामिन–ई–कोह की भूमि को किसी भी प्रकार से खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। अगर एकरारनामा या शपथ पत्र द्वारा भूमि खरीद बिक्री होती है तो उसे अवैध दखलकार माना जाता है।

निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 599/रा0, दिनांक 03.12.2018 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–भिठी नं0–02 बंगला तालझारी अन्तर्गत दामिन–ई–कोह की जमीन है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं होती है। मौजा अहस्तांतरणीय है।

उन्होंने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया है कि जमाबंदी सं0–64, दाग नं0–102 कुल रकवा 01–14–10 धूर के जमाबंदी रैयत मन्टू मंडल वल्द गोसाई मंडल, सा0–बुधवरिया खतियान में दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज है तथा विपक्षीगण को जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विवादित भूमि की अंश रकवा 13 कट्ठा भूमि आवेदक के भाई विश्वनाथ मंडल से शपथ पत्र द्वारा प्राप्त किया है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी के दखल कब्जा में है।

इस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा दामिन–ई–कोह की भूमि से अवैध दखलकार को उच्छेद करना न्यायोचित आदेश पारित किया गया है, जो

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर०ई० वाद संख्या 12/2018–19 (कैलाश मंडल –बनाम– कालू घोष वगै०) में दिनांक 04.04.2019 को यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, तालझारी को भेजें। मूल अभिलेख वापस भेजें। पारित आदेश उभय पक्षों को दिखावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 14/12/21 उपायुक्त, साहेबगंज। 14/12/21 उपायुक्त, साहेबगंज।	ज्ञापांक— 199/ डी०सी० 25.04.23

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 12:28:08 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner